

न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-703 / 13

संस्थित दिनांक 06.08.2013

फाई. क्र.234503000832013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, बैहर

जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

1. माहूलाल पिता छुट्टन मातरे, उम्र 58 साल

2. गिरवर पिता माहूलाल मातरे, उम्र 28 साल

दोनों निवासी भण्डेरी, थाना बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — **आरोपीगण**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 20/02/2018 को घोषित)**

01. आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323 / 34 (काउण्टस-2), 506 भाग-दो के अंतर्गत अपराध किये जाने का आरोप है कि उन्होंने दिनांक 20.07.2013 को समय 10:30 बजे अंतर्गत ग्राम भण्डेरी प्रार्थिया का खेत थाना बैहर के अंतर्गत फरियादी ग्यारसीबाई मातरे एवं उसके पति तीरथलाल को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वाले को क्षोभ कारित कर सह अभियुक्त के साथ मिलकर तीरथलाल को उपहति कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में ग्यारसीबाई एवं तीरथलाल के साथ डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की एवं संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिया ग्यारसीबाई ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 20.07.13 को करीब 10:30 बजे वह अपने पति के लिये खाना लेकर खेत गई थी, तब उसका जेठ माहूलाल

तथा भतीजा गिरवरलाल दोनों अपने-अपने हाथों में डंडा लेकर आये और उसके पति को मादरचोद, बहनचोद की गालियाँ देते हुये बोलने लगे कि वह अपनी नागर बैल खेत से हटा ले, नहीं तो उसको जान से खत्म कर देंगे कहते हुए उसके पति को दोनों ने डंडा से मारपीट करने लगे, तब उसने बीच-बचाव किया तो उसे भी जेठ माहूलाल ने डंडे से बांये जांघ में मारा तथा उसके पति को बांये हाथ, बांये पैर एवं पीठ में मारा था, जिससे उन्हें चोटें आई थी। उक्त घटना में रामेश्वर मातरे, सुखबतीबाई मानेश्वर, मेखराम ठाकरे ने बीच-बचाव किये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण को गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया एवं आरोपीगण के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाये जाने से चालान क्रमांक 90/2013 दिनांक 31.07.13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34 (काउण्टस-2), 506 भाग-दो के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपीगण ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 20.07.2013 को समय 10:30 बजे अंतर्गत ग्राम भण्डेरी प्रार्थिया का खेत थाना बैहर के अंतर्गत फरियादी ग्यारसीबाई मातरे एवं उसके पति तिरथलाल को क्षोभ कारित करने के आशय से माँ-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वाले को क्षोभ कारित किया ?
2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर सह अभियुक्त के साथ मिलकर तीरथलाल को उपहति कारित करने का सामान्य

आशय निर्मित कर सामान्य आशय के अग्रसरण में ग्यारसीबाई एवं तीरथलाल के साथ डण्डे से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक समय व स्थान पर परिवादी एवं आहत तीरथलाल को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विवेचना एवं निष्कर्ष:-

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03

नोट—सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति रोकने के आशय से तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी ग्यारसीबाई अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना जुलाई 2013 को दिन के करीब 10:00 बजे उसके खेत की है। घटना दिनांक को जब वह अपने पति तीरथलाल के लिए भोजन रखकर वापस घर जा रही थी, तभी आरोपीगण उनके खेत में आकर अपने हाथ में रखे डंडे से उसके पति तीरथलाल को मारपीट कर रहे थे। कोई दूसरे बीच-बचाव करने नहीं आये तो वह स्वयं जाकर आरोपीगण को मारने से मना की, तब आरोपीगण मादरचोद की गंदी-गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गाली सुनने में उसे बुरी लगी थी। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

06— साक्षी ग्यारसीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण से घटना के दो-तीन दिन पूर्व भी उनका झगड़ा हुआ था, जिसमें उसने और उसके पति ने आरोपीगण के साथ मारपीट किये थे। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके

खेत पर पहुँचने के समय अन्य लोग भी खेत में काम कर रहे थे, आरोपीगण को जब वह खेत पहुँची तो चिल्लाने लगी कि यहाँ पर हल क्यों चला रहे हो, तब आरोपीगण कह रहे थे कि ये उनका खेत है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि उसके पति ने आरोपीगण को मारपीट की थी और उसने जाकर आरोपीगण के हल से बैल को छोड़ दी थी। साक्षी के अनुसार उनके नागर, बैल को छोड़ने गई थी।

07— साक्षी ग्यारसीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि नागर में फंसे बैल ने उसे गिरा दिया, बैल ने उसे मारकर गिरा दिया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपीगण और उनके बीच में उक्त जमीन को लेकर न्यायालय में वाद चला है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त केस में आरोपी माहूलाल जीता था। उसने पुलिस को बयान देते समय यह बता दी थी कि उसने ही बीच-बचाव की थी। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि मौके पर उसके अलावा कोई अन्य बीच-बचाव करने नहीं आये थे। साक्षी के अनुसार उसका भतीजा रामेश्वर एवं भतीजी सुखबतीबाई बीच-बचाव करने आये थे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपीगण ने उन लोगों के साथ कोई मारपीट नहीं किये थे, आरोपीगण ने उन्हें कोई गंदी-गंदी गाली नहीं दी थी और ना ही जान से मारने की धमकी दिये थे, उन लोगों को चोट बैल के मारने से आयी थी।

08— साक्षी तीरथलाल अ.सा.02 ने कहा है कि आरोपी माहूलाल उसका भाई है और आरोपी गिरवर उसका भतीजा है। प्रार्थी ग्यारसीबाई उसकी पत्नि है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व दिन के लगभग 10:00 बजे उसके खेत की है। घटना दिनांक को वह अपना खेत जोत रहा था, तभी आरोपीगण अपने हाथ में लकड़ी लेकर उसके खेत में आये और उसे यह कहकर कि उसका खेत है वह क्यों जोत रहे हो कहकर उसे लकड़ी से मारपीट किये, जिससे उसे पैर, पीठ, हाथ में चोट आयी थी, बीच-बचाव करने उसकी पत्नि आई थी। आरोपीगण ने उसकी पत्नि को लकड़ी से मारपीट किये थे।

उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। आरोपीगण उसे जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

09— साक्षी तीरथलाल अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उनके और आरोपीगण के बीच में जमीन का विवाद चला था। साक्षी के अनुसार वह विवाद काफी पहले खत्म हो गया था। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जमीन के विवाद में वह हार गया था, उसके खेत पहुँचने के पहले पड़ौसी खेत के लोग भी अपने खेत में उपस्थित थे, किन्तु अस्वीकार किया है कि माहूलाल और गिरवर पहले से अपने खेत में काम कर रहे थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका खेत तथा माहूलाल का खेत मेढ़ से लगा हुआ है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह खेत पहुँचने पर माहूलाल के खेत में नागर चलाने लगा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि नागर चलाने से मना करने के लिये आरोपीगण आये थे। साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने आकर पहले दो-दो लकड़ी बैल को मारे और फिर उसे मारे। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने अपने पुलिस कथन में बैल को दो-दो लकड़ी मारने वाली बात नहीं बतायी थी, जब उसका माहूलाल के साथ विवाद हो रहा था, उस समय वह नागर में फंस गया था, नागर में फंसने के कारण वह गिर गया था, नागर में फंसने के कारण उसे गिरने से चोट आयी थी, आरोपीगण ने उनके साथ मारपीट नहीं की थी, आरोपीगण ने उसे जान से मारने की धमकी नहीं दी थी, उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की थी, वह बढ़ा-चढ़ाकर अपने बयान दे रहा है।

10— साक्षी रामेश्वर अ.सा.03 ने कहा है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग दो वर्ष पूर्व जून जुलाई माह में बारिस के दिन के करीब बारह बजे ग्राम भंडेरी में तीरथलाल के खेत की है। आरोपीगण और तीरथलाल का झगड़ा हो रहा था, जिसे देखकर वह घटनास्थल पर पहुँचा तो देखा कि माहूलाल और उसका लड़का गिरवरलाल तीरथ को डंडे से मार रहे थे। आरोपीगण ने तीरथलाल की पत्नी को भी मारा था। घटना में

उसने और उसकी दीदी सुखबतीबाई ने बीच-बचाव किया था। आरोपीगण गाली दे रहे थे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

11- साक्षी रामेश्वर अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि उसने घटना के बारे में सुना था देखा नहीं था, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि जब वहाँ मौके पर बहुत से लोग थे, वह हल्ला सुनकर गया था, जब वह पहुँचा तो उस समय दोनों पक्ष एक दूसरे को गाली दे रहे थे। वह यह नहीं बता सकता कि घटनास्थल माहूलाल की जमीन थी। साक्षी के अनुसार तीरथलाल पहले से काश्त करता आ रहा था। साक्षी ने अस्वीकार किया है कि तीरथलाल की पत्नि उसके बैलों के सामने गिरी पड़ी थी। साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने उसको मारकर गिराया था। तीरथलाल उसका काका है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि माहूलाल एवं गिरवरलाल गांव में जाति समाज से अलग रहते हैं, उसका तीरथ के साथ उठना बैठना होता है, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके सामने कोई मारपीट नहीं हुई थी वह घटना के बाद पहुँचा था, आज वह तीरथलाल के कहने पर झूठे कथन कर रहा है, तीरथलाल आरोपीगण से गाली-गुफ्तार कर रहा था।

12- डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.04 ने कहा है कि वह दिनांक 20.07.13 को सी.एच.सी बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उस दिन थाना बैहर से आरक्षक रोहित नम्बर 1258 द्वारा आहत श्रीमती ग्यारसीबाई को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया था। जांच में उसने आहत को एक अब्रेजन होना पाया था, (इंप्रिंट) 1.5 गुणा 0.5 इंच लिये, तिरछापन लिये अनियमित किनारे लालीमा भूरा पन लिये, उक्त चोट बायें जांघ के पीछे वाले भाग पर होना पाया था। उसके मतानुसार चोट साधारण प्रकृति की थी जो कड़ी व बोथरी वस्तु से आ सकती है, जो उसके जांच के आठ घंटे के अंदर की है। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.03 है जिसके ए से ए भाग पर उसके

हस्ताक्षर है।

13— डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.04 के अनुसार उक्त दिनांक को उक्त आरक्षक द्वारा आहत तीरथलाल को लाने पर आहत को चोट क्रमांक 01—एब्रेजन इंप्रिंट 1.5 इंच गुणा 0.5 इंच लिये, अनियमित किनारे उक्त चोट बाईं भुजा पर बाहर की तरफ होना पाया था एवं चोट क्रमांक 02—एब्रेजन 1.5 गुणा 0.5 इंच लिये, तिरछापन लये, लालीमा भूरापन लिये उक्त चोट बायें जांघ पर सामने की तरफ होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोटें साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है। उसके जांच के आठ घंटे के अंदर की है। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.04 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त चोटें स्वयं कारित की जा सकती है, आहतगण को उक्त चोटें गिरने से आ सकती है, आहतगण का उसने स्वयं परीक्षण नहीं किया था, उसने आहतगण के बताये अनुसार आरोपीगण को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट तैयार की है।

14— साक्षी आर०के० सिंह अ.सा.05 ने कहा है कि वह दिनांक 21.07.2013 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध क्रमांक 100/13 अंतर्गत धारा-294, 323, 506, 34 भा.द.वि. की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल ग्राम भण्डेरी जाकर प्रार्थी ग्यारसी की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी ग्यारसी तथा गवाह तीरथलाल, भेखराम, रामेश्वर एवं सुखबतीबाई के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे।

15— साक्षी आर०के० सिंह अ.सा.05 के अनुसार दिनांक 26.07.2013 को ग्राम भण्डेरी प्रार्थी के खेत में घटना में प्रयुक्त डंडे के संबंध में गवाह सुरजित तथा ब्रजलाल के समक्ष तलाशी पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से

ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा गवाह सुखराम तथा महेन्द्र कावरे के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 व 07 तैयार किया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके तथा बी से बी भाग पर आरोपीगण के हस्ताक्षर है। संपूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

16— साक्षी आर०के० सिंह अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि मौका-नक्शा प्र.पी.02 उसने गवाहों के समक्ष तैयार नहीं किया है, मौका-नक्शा प्र.पी.02 उसके द्वारा थाने में बैठकर तैयार किया गया है एवं उस पर फरियादी के झूठे हस्ताक्षर किये गये हैं, फरियादी ग्यारसी एवं गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर आरोपी को झूठा फंसाने के लिये अपने मन से लेख किये गये थे, उसके द्वारा गवाहों के समक्ष किसी प्रकार की तलाशी नहीं ली गई और तलाशी पंचनामा प्र.पी.05 थाने में बैठकर अपने मन से तैयार किया गया और उस पर गवाहों के फर्जी हस्ताक्षर लिये गये थे, उसके द्वारा प्र.पी.06 एवं 07 झूठा बनाया गया है, उस पर गिरफ्तारी के पूर्व ही गवाहों के हस्ताक्षर उसके द्वारा करा लिये गये थे, आरोपीगण के विरुद्ध वह आज झूठे कथन कर रहा है एवं प्रकरण की संपूर्ण विवेचना फरियादी ग्यारसी के साथ मिलकर झूठा तैयार किया है।

17— घटना के तत्काल बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। परिवादी ग्यारसीबाई अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 से होती है। परिवादी के कथनों एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई गंभीर विरोधाभास एवं लोप नहीं है। परिवादी ग्यारसीबाई अ.सा.01 के कथनों की पुष्टि साक्षी तीरथलाल अ.सा.02 तथा रामेश्वर अ.सा.03 के कथनों से भी होती है। परिवादी ग्यारसीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आरोपीगण और उनके बीच में उक्त जमीन को लेकर न्यायालय में वाद चला था। साक्षी आहत तीरथलाल अ.सा.02 ने अपने

प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उनके और आरोपीगण के बीच में जमीन का विवाद चला था, जिसमें वह हार गया था तथा नागर चलाने से मना करने के लिये आरोपीगण आये थे। तथापि प्रकरण की साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि आहतगण द्वारा अभियुक्तगण के खेत में हल चलाया जा रहा था एवं अभियुक्तगण द्वारा भी अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

18— प्रकरण की साक्ष्य से यह दर्शित नहीं है कि परिवादी द्वारा अभियुक्तगण को गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया गया हो। परिवादी ग्यारसीबाई अ.सा.01 की साक्ष्य तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट से उसकी पुष्टि, डॉ० एन०एस० कुमार अ.सा.04 की चिकित्सा साक्ष्य से परिवादी एवं आहत तीरथलाल की चोटों की पुष्टि एवं आहत साक्षी तीरथलाल अ.सा.02 तथा साक्षी रामेश्वर अ.सा.03 की साक्ष्य से परिवादी के कथनों की पुष्टि से यह युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है कि अभियुक्तगण ने डण्डे से मारकर परिवादी एवं आहत तीरथलाल को स्वेच्छया उपहति कारित की।

19— परिवादी ग्यारसीबाई अ.सा.01 के अनुसार घटना उनके खेत की है। आरोपीगण उसे व उसके पति को माँ-बहन की गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे थे। न्यायदृष्टांत शरद दवे वि० महेश गुप्ता, 2005(4)एम.पी.एल.जे.330 के अनुसार केवल अश्लील गालियाँ धारा-294 भा.द.वि. का अपराध गठित नहीं करती है तथा न्यायदृष्टांत बंशी विरूद्ध रामकिशन, 1997(2) डब्ल्यू.एन.224 के अनुसार केवल गालियाँ दिया जाना इस अपराध को गठित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही घटनास्थल खेत होना दर्शित है, जिसका लोकस्थान अथवा उसके समीप होने के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। फलतः उक्त वैधानिक स्थिति के प्रकाश में तथा घटनास्थल खेत होने के कारण यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण ने परिवादी एवं आहत को लोक स्थान के समीप अश्लील शब्द उच्चारित किया व उसे व दूसरों को क्षोभ कारित किया।

20— भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 के अपराध हेतु आवश्यक है

कि अभियुक्तगण का आशय आहत व्यक्ति को अभित्रास कारित करना हो तथा यह बात निष्काम होगी कि आहत अभित्रस्त होता है की नहीं, तथापि अभित्रास कारित करने के किसी आशय के बिना किन्हीं शब्दों की मात्र अभिव्यक्ति धारा-506 को काम में लाये जाने के लिये पर्याप्त नहीं होगी। वर्तमान प्रकरण में घटना के तुरंत बाद प्रथम सूचना दर्ज किया जाना दर्शित है। प्रकरण की साक्ष्य तथा घटना के बाद आहत के आचरण से यह दर्शित नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त आरोपित अपराध कारित किया गया है, क्योंकि मात्र धमकी देकर घटनास्थल से चले जाने से इस धारा की आवश्यकतायें पूरी नहीं होती। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत अमूल्य कुमार बेहरा वि० नबघन बेहरा 1995 सी.आर.एल.जे.3559 (उडीसा) तथा सरस्वती वि० राज्य 2002 सी.आर.एल.जे.1420 (मद्रास) अवलोकनीय है। फलतः यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया गया। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 506 भाग-दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 34(दो शीर्ष) के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

21— अभियुक्तगण द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट

पुनःश्च—

22— दंड के प्रश्न पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण एवं परिवादी एक ही परिवार के हैं। ऐसी स्थिति में उनके साथ नरमी का

व्यवहार किया जावे।

23— बचाव पक्ष के तर्कों के आलोक में प्रकरण का अवलोकन किया गया। आरोपीगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि दर्शित नहीं है। ऐसी स्थिति में कारावास का दंड दिये जाने से उभयपक्ष के मध्य वैमनस्यता तथा विवाद बढ़ने की संभावना है। फलतः अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध को देखते हुए उसे सामान्य दण्ड दिये जाने से न्याय की पूर्ति संभव है। अतः अभियुक्तगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323, 34(दो शीर्ष) के अपराध के लिये प्रत्येक अपराध हेतु न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000-1,000/- (एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में अभियुक्तगण को अर्थदण्ड की प्रत्येक राशि के लिये 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

24— अर्थदंड की संपूर्ण राशि धारा-357(1)(बी) द.प्र.सं. के तहत परिवादी ग्यारसीबाई तथा आहत तीरथलाल को अपील अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात, अपील न होने की दशा में, अदा की जावे। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

25— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

26— प्रकरण में अभियुक्तगण अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहे हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

27— अभियुक्तगण को निर्णय की एक प्रति धारा-363(1) द.प्र.सं. के तहत निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / -

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

जिला बालाघाट